

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

युवराजसिंह

बनाम मुकेश कुमार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 222/2022/345

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/5/2022	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>युवराजसिंह S/O चावण्डसिंह राजपूत</u>  <del>श्रीमती</del> <u>मन्नुकेवर W/O चावण्डसिंह राजपूत</u></p> <p>निवासी- <u>डगला का खेडा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>पिपली (प.ह.ओ.इ.ए.ए.)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>568/1 रकबा 0.5450, 571, 572, 573, 574, 575 कीता 5 रकबा 4.8800</u></p> <p>कुल कीता <u>6</u> कुल रकबा <u>5.4250</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पिपली</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>568/1 रकबा 0.5450 एवं 571, 572, 573, 574 575 कीता 5 कुल रकबा 4.8800</u> है-</p> <p>कुल कीता <u>6</u> रकबा <u>5.4250</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500/-</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार पांच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p>
	<p>(<u>श्याम सुन्दर विनोई</u>) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>